

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग,
बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक -

विषय :- स्व० (डा०) किशोर कुमार सिन्हा, भूतपूर्व प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग-सह-प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को कुल-300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1310(25) दिनांक-01.07.2025 के आलोक में स्वीकृत।

2. स्व० (डा०) सिन्हा की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक-11.05.2025 को हो चुकी है।
3. वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना कृपया स्व० (डा०) सिन्हा के सभी सरकारी बकाया आदि के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत स्व० (डा०) सिन्हा के वैध उत्तराधिकारी इनकी पत्नी-श्रीमती विजया सिन्हा के पक्ष में प्राधिकार पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से होगी।
5. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक :- 17/पेन-34/2025 -290(17) /स्वा०, पटना, दिनांक- 05.03.26

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती विजया सिन्हा, पत्नी-स्व० (डा०) किशोर कुमार सिन्हा, भूतपूर्व प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग-सह-प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर, पत्राचार का पता-अनुग्रहपुरी कॉलोनी, थाना-रामपुर, जिला-गया, पिन कोड-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।